फार्म हाउस मामले में फिर मिली तारीख़, खोरी का पुनर्वास अब तक नहीं

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

फ़रीदाबाद : फार्म हाउसों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिर टल गई और अब 23 अगस्त को सुनवाई होगी। खोरी को उजाड़ने के मामले में जितनी जल्दी अदालत ने दिखाई थी, वही जल्दी फार्म हाउसों के मामले में दिखाई नहीं दे रही है। 19 अगस्त को टाली गई सुनवाई की कोई ठोस वजह नहीं है। फार्म हाउसों के वकील मामले को ज़्यादा से ज्यादा लंबा खींचने के मूड में हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह मामले को लंबा लटका कर इसे ठंडा किया जाए।

एक तरफ़ तो फार्म हाउसों का मामला लंबा खिंच रहा है लेकिन दूसरी तरफ़ खोरी के उजाड़े गए लोगों का पुनर्वास अभी तक शुरू नहीं हो सका है। 19 अगस्त को मजदूर आवास संघर्ष समिति खोरी गांव ने दिल्ली के जंतर मंतर पर पुनर्वास की मांग को लेकर धरना दिया। खोरी गांव के निवासियों ने सरकार से मांग की है किउन्हें जल्द ही पुनर्वास दिया जाए। धरने में मौजूद खोरी गांव की महिलाएं अपना दर्द बताते बताते फूट-फूट कर रोने लगी। जहां एक ओर बच्चे खुले आसमान में तिरपाल के नीचे बिना बिजली, बिना पानी, बिना भोजन

के जीवन जीने को मजबूर हैं। वहीं फ़रीदाबाद नगर निगम प्रशासन की ओर से अभी तक पुनर्वास को लेकर कोई मजबूत खाका तैयार नहीं किया गया है!

मजदूर आवाज संघर्ष समिति के सदस्य मोहम्मद सलीम ने बताया की पुनर्वास को लेकर नगर निगम द्वारा आवेदन मांगे जा रहे हैं । निगम प्रशासन के द्वारा आवेदन प्राप्त करने के बाद कोई रसीद नहीं दी जा रही है और लोगों के द्वारा जमा किए गए आवेदन और दस्तावेज बिना प्राप्ति के एक कूड़े के ढेर के समान है। रसीद नहीं दिए जाना एक बेहद गंभीर मामला है। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है!

वही एक महिला ने बताया कि उसकी बेटियां और अन्य महिलाएं खुले में शौच जाने को मजबूर है। जिससे एक डर का माहौल हमेशा बना रहता है। स्वच्छ भारत अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है फिर भी सरकार मौन है।

बेघर साथियों के साथ काम करने वाले सीनियर एक्टिविस्ट इंदु प्रकाश सिंह ने बताया की खोरी गांव के साथियों को लोकतंत्रात्मक गणराज्य में जो झेलना पड़ रहा है वह राज्य के लिए शर्मनाक है। हरियाणा सरकार को तत्काल अस्थाई शेल्टर देकर मजदूर परिवारों को पुनर्वास देने की योजना को लागू करना चाहिए।

मजदूर आवास संघर्ष समिति के सदस्य निर्मल गोराना ने बताया कि समिति ने खोरी गांव एवं बेदखल परिवारों की स्थिति पर मानवाधिकार अधिवक्ताओं के साथ मिलकर एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी तैयार की है। जिसे डीसी फरीदाबाद एवं कमिश्नर नगर निगम को भेजकर फिर कोर्ट में प्रस्तुत किया जायेगा।

साथ ही निर्मल गोराना ने बताया की आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजदूर आवर संघर्ष समिति की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है जिसमें 13 मांगे हैं।

ये हैं- तत्काल घर के समान के साथ बेदखल परिवारों को ट्रांसिट कैंप में शिफ्ट करे। जहां मजदूर परिवारों को उचित भोजन एवं शेल्टर की व्यवस्था मिले।

हरियाणा सरकार तत्काल पुनर्वास की पॉलिसी नोटिफाई करे एवं पब्लिक डोमेन में सांझा करे।

जब तक बेदखल परिवारों को उचित पुनर्वास नहीं मिल जाता तब तक उन्हें 5000 रूपये प्रति माह किराया राशि के रूप में दिया जाए।

पुनर्वास प्रदान करने का दिन व समय निश्चित किया जाए।

पुनर्वास में दिए गए घर की किसी भी प्रकार की कोई भी कीमत बेदखल परिवारों से इस कोरोना महामारी में छीन चुके रोजगार की समस्या को ध्यान में रखते हुए निशुल्क प्रदान किए जाए।

बेदखल किए गए हर परिवार को पुनर्वास प्रदान किया जाए। आईडी प्रूफ एवं अन्य दस्तावेजों की कोई शर्त नहीं रखी जाए।

जिसका मकान तोड़ा गया उसे बिना शर्त पर आवास उपलब्ध करवाया जाए। राधा स्वामी सत्संग हाल की बजाय सरकार ट्रांसिट कैंप/अस्थाई शेल्टर होम बना कर बेदखल परिवारों को सम्मान के साथ आश्रय दिया जाए। पूरे हरियाणा में कही भी जबरन बेदखली न हों यह योजना लागू की जाए। दिल्ली की आईडी धारी परिवार को हरियाणा की जमीन पर बसा है उन्हे भी हरियाणा सरकार पुनर्वास प्रदान करे।

बेदखली के दौरान जबरन खोरी गांव वासियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं पर डाले गए अपराधिक मामले वापस लिए जाए। बेदखल समस्त परिवारों को फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत राशन एवं सभी 5 वर्ष से छोटे बच्चे व धात्री महिलाओं को पोषाहार दिया जाए।

प्रवासी एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो ऑर्डर के मुताबिक प्रत्येक बेदखल मजदूर परिवार का पंजीकरण किया जाए।

नेताओं के संरक्षण में बड़खल तहसील में लूट का धंधा जोरों पर

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

फ़रीदाबाद : बडखल तहसील में अगर आपको कोई काम कराना है तो वहाँ रिश्वत का रेट फिक्स है। कोई भी काम बिना दलालों के होता ही नहीं है। अन्य तमाम सरकारी दफ्तरों की भांति बडखल तहसील शुरू से रिश्वतखोर कर्मचारियों और अफ़सरों का केंद्र बना हुआ है। आज तक यहाँ कोई तहसीलदार ऐसा नहीं आया जो बिना विवादों में घिरे यहाँ से गया है। मौजूदा तहसीलदार नेहा शरण भी उसी तरह विवादों में घिरती नज़र आ रही हैं। उनके खिलाफ़ हरियाणा सरकार को जो शिकायतें मिली हैं उनमें आरोप लगाया गया है तहसीलदार नेहा शरण के संरक्षण में तमाम दलाल इस तहसील का संचालन कर रहे हैं।

ऐसे होती है शुरूआत

कोई शख्स वहाँ डोमीसाइल या अन्य प्रमाणपत्र बनवाने जाता है तो उसे पहले सीएससी सेंटर जाकर ऑनलाइन आवेदन के लिए कहा जाता है। साथ ही सीएससी सेंटरों को लेकर डरा दिया जाता है। अगले दिन आवेदनकर्ता फिर से तहसीलदार के दफ़्तर में जाता है तो विंडो बंद मिलती है। अगर गलती से कोई कर्मचारी मिल भी जाता है तो वह अगले दिन आने के लिये कहता है। लेकिन वह अगला दिन कभी नहीं आता है।

तहसीलदार दफ़्तर के कर्मचारी जब उस शख्स को तीन-चार चक्कर लगाता हुआ देख लेते हैं तो फिर शिकार को पुख्ता पाते हैं। उसके बाद आवेदनकर्ता से कोई न कोई कर्मचारी कान में कहता है कि बाहर दलाल बैठा है उसे तीन हज़ार रूपये दो और बिना कहीं भटके सारा काम करा लो।

इसी तरह दलाल के ज़रिए रजिस्ट्री का कागज़ निकलवाने की फ़ीस क़रीब दो हज़ार रूपये है। जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के 3500 रूपये लिए जाते हैं।

ज़मीन की रजिस्ट्री में रिश्वत का पैसा डीडराइटर के ज़रिए पहुँचता है। डीडराइटर दोनों पार्टियों से कहता है कि अगर उन्हें जल्दी काम कराना है तो एक दर्जन टेबलों से फाइल गुजरने की एकमुश्त फ़ीस 35000 रूपये देनी पड़ेगी। अगर ये पैसा न दिया गया तो एक एक टेबल पर बैठा बाबू एक-एक महीने का इंतज़ार करवा सकता है। ऐसे में रजिस्ट्री में लंबा समय लगेगा। रजिस्ट्री कराने वाली पार्टी पैसा देकर अपना काम कराने में भलाई समझती है।

तहसीलदार की विवादास्पद छवि

काम को टरकाकर आवेदनकर्ता को दलाल तक पहुँचाने में तहसीलदार दफ़्तर बडखल के बाबुओं की मुख्य भूमिका है। कई बार तो सारे बाबू अपनी अपनी सीट से ग़ायब होकर एक कमरे में जमा हो जाते हैं। जहां खूब हँसी मज़ाक़ चलता है। बाबू अपने शिकार को घेरने और दलाल तक पहुँचाने के किस्से सुनाते हैं। इसमें तहसीलदार नेहा शरण शामिल होती हैं।

तहसीलदार नेहा शरण डीसी फ़रीदाबाद में सीएम विंडो पर रह चुकी हैं। वहाँ भी उन्हें लेकर उस समय विवाद हुआ था जब उन्होंने एक शिकायतकर्ता की शिकायत ही फाड़ दी थी। इस मामले में शिकायत होने के बाद नेहा शरण का वहाँ से तबादला कर दिया गया था।

गौरतलब है कि तहसील परिसर में ही एसडीएम भी बैठते हैं, उपायुक्त भी कोई बहुत दूर नहीं बैठते उसके बावजूद तहसील में यह सब कैसे हो रहा है? इतना ही नहीं स्थानीय विधायक व तमाम राजनेताओं से भी यह लूट-मार छिपी हुई नहीं है। जाहिर है कि यह सब कुछ उनकी मर्जी व हिस्सा-पत्ती में ही चल रहा है। इसके लिये मात्र कर्मचारियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जानकार बताते हैं कि लूट-मार की तैनातियां पाने के लिये यह कर्मचारी मोटी रकम 'ऊपर' पहुंचाते हैं।

ग्रेफा के लोग एक बार फिर भारी भरकम आश्वासन लेकर लौटे

हर दो महीने बाद नींद से जागकर उठाते हैं नई समस्याएँ

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

फ़रीदाबाद: ग्रेटर फ़रीदाबाद के तमाम जनसंगठन, एनजीओ और आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों को हर दो महीने में एक बार अपनी समस्याएँ जोरशोर से उठाने और फिर उसके बाद ठंडे होकर बैठने का चलन आम हो चुका है।

ग्रेफा के तमाम संगठनों ने पिछले दिनों भाजपा विधायक राजेश नागर से मिलकर बीपीटीपी की समस्याएँ जोरशोर से उठाई थीं। विधायक ने भारी भरकम आश्वासनों के साथ जनप्रतिनिधियों को लौटा दिया। इसके बाद ग्रेफा कन्फेडरेशन ऑफ़ आरडब्ल्यूए से जुड़े रिटायर्ड विंग कमांडर और एडवोकेट सतिंदर दुग्गल पर जानलेवा हमला कुछ बदमाशों ने किया। उस मामले में एफआईआर भी हुई थी। कन्फैडरेशन ने इस मामले को न सिर्फ़ पुलिस अधिकारियों बल्कि भाजपा विधायकों और मंत्रियों से उठाया। कन्फैडरेशन के पदाधिकारी आश्वासन लेकर लौट आए।

अब कन्फैडरेशन के लोगों ने कुछ गाँवों और नहरपार के मुद्दों को लेकर भाजपा विधायक नरेंद्र गुप्ता से मिलकर बुधवार को तमाम मुद्दे उठाए। गुप्ता ने भारी भरकम आश्वासन के बाद उन्हें लौटा दिया।

सवाल यह है कि कन्फैडरेशन, एनजीओ, आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी इस तरह कब तक मूर्ख बनते रहेंगे।

नई मुहिम का इंतज़ार कीजिए

ग्रेफ़ा कन्फ़ेडरेशन ओफ़ आरडबल्यूए व नहर पार विकास मोर्चा ने बुधवार को 'समस्या हमारी समाधान आपका' मुहिम की शुरुआत हुई। जिसके तहत महीने में दो दिन सोसाइटीज, कॉलोनी व गांवों की समस्याओं को लेकर जन प्रतिनिधियों से मुलाक़ात कर अपनी समस्या को उनके समक्ष समाधान के लिए रखा जाएगा। इसी कड़ी में बुधवार को ग्रेफ़ा कन्फ़ेडरेशन ओफ़ आरडबल्यूए व नहरपार विकास मोर्चा के प्रतिनिधियों ने फ़रीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता से मुलाक़ात कर बुढ़ैना, भरत कॉलोनी

व इंद्रा कॉम्प्लेक्स की कई समस्याओं से अवगत कराया।

प्रमुख समस्याओं में बुढ़ैना के श्मशान घाट के रास्ते में रूकावट, शेड की कमी, ट्रांसफ़ॉर्मर में टूटी लाइन का सड़क पर पड़े होना, जोहड के पानी का बाहर गन्दगी फैलाना व सूइज की निकासी की कमी के कारण गंदे पानी का सरकारी स्कूल के सामने व अंदर पानी का जमा होना, बिजली विभाग के कर्मचारियों का फ़ोन बंद रहना व फ़ोन ना उठाना आदि शामिल है. विधायक ने अपने स्टाफ़ को ज़रूरीं दिशा निर्देश जारी किए। बिजली विभाग के एसडीओ को भी आवश्यक निर्देश दिए व अपने पूरे सहयोग का आश्वासन दिया।

ग्रेफ़ा कन्फ़ेडरेशन ओफ़ आरडबल्यूए ने पार्क इलीट प्रीमियम सोसायटियों में बिजली के कनेक्शन, ग्रीवन्स कमेटी में ग्रेटर फ़रीदाबाद के नुमाइंदे, बीपीटीपी बिल्डर से सम्बंधित सारी ग्रेटर फ़रीदाबाद की सोसायटियों की समस्याओं के समाधान के लिए ज़िला स्तर पर एक हाई पावर कमेटी बनाने व एफ़एमडीए में ग्रेटर फ़रीदाबाद में रहने वाले व्यक्ति को मनोनीत करने की माँग की गई। इसके अलावा यह भी माँग उठाई की डीआईपीआर विभाग द्वारा प्रतिमाह ग्रेटर फ़रीदाबाद में चलने वाले इंफ़्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेसिव की जानकारी प्रकाशित की जाए ।

ग्रेफ़ा कन्फ़ेडरेशन की तरफ़ से कन्फ़ेडरेशन के प्रधान निर्मल कुलश्रेष्ठ व नहर पार विकास मोर्चा की ओर से अध्यक्ष अरुण भारतीय व दिनेश चंदीला व शेरी सक्सेना, पारस भारद्वाज, आरडबल्यूए पार्क इलीट प्रीमियम के प्रधान ए. तिवारी, अधिवक्ता व रिटायर्ड विंग कमांडर सत्येंद्र दुग्गल, बुढ़ैना, भरत कॉलोनी, इंद्रा कॉम्प्लेक्स के प्रतिनिधियों ने विधायक को अपने अपने क्षेत्रों व कालोनियों से सम्बंधित समस्याओं की जानकारी दी।